FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

सोनाराम वगैरा बनाम अनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 38 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 4/3/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
4/3/2020	प्रार्थी वकील उप० । विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दि० 16/3/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
16/3/2020	प्रार्थी वकील उप० । विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल हाजिर [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:09:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई
अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई।
स्वयं या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित
नहीं हुआ लिहाजा उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही
अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस
बहस सुनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया
कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की कृषि से 61 व 6 आई हुई
है सेढो पर पुरानी मांडे एवं कच्चे बने हुए है जो
आधिया की वजह से खिंच गए है वर्तमान मौके पर
सीमाओं के अभाव मे विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि
में खेती कर लेते है। जिससे पक्षकारो के बीच
तनाव बना रहता है, इसलिए प्रार्थी को अपने
खातेदारी खेतो की पक्की मेंढबंदी करवाना आव-
श्यक है। इसलिए प्रार्थी का मेंढबंदी आवेदन स्वीकार
किया जाकर मेंढबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी का मेंढबंदी आवेदन
स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कापरेन को
कमिश्नर एवं संबंधित भू.अ. निरीक्षक को सहायक
कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता
है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी
की भूमि की पक्की मेंढबंदी मौके पर नियमानुसार कमिश्नर
शुल्क 500/ जमा कराकर करें पालना रिपोर्ट पेश
होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
16.3.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) कापरेन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:09:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 285 दिनांकः— 16.3.2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. तोगाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी पनोणियों की ढाणी (सेवनियाला) तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. बनाराम पुत्र हेमराजराम वगैरा निवासी पनोणियों की ढाणी (सेवनियाला) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 38 / 2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा सिहड़ों की ढाणी पटवार हल्का सेवनियाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 60 रकबा 98.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 286 to 290 दिनांकः—

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी सेवनियाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री तोगाराम
4. विप्रार्थीगण श्री बनाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

विवेक व्यास
16.3.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:09:07 IST
Reason: SelfAttested